स्थापना करने के बजाए देश के विभिन्न भागों में छोटे बिजली घर स्थापित करने की योजना सरकार ने नहीं बनाई है। तथापि जहां मध्यम और लघु जल विद्युत् विकास के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद उपयुक्त स्थल उपलब्ध है और अलग-अलग स्थानों पर, जहां कि भार मांगों की दृष्टि से केवल छोटे बिजली घरों की ही स्थापना करना उचित हो वहा छोटे बिजली घरों की स्थापना के लिए भी उनके गुणावगुण और औचित्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है

Amount payable to Land owners for land under Army occupation in J and K

7247. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the total amount payable to land owners under Army occupation in Districts Kathua, Jammu, Rajouri, Poonch and Udhampur in Jammu and Kashmir State, giving year and district-wise details; and

(b) is it a fact that Army authorities are not taking care for the payment of the dues to the land-owners giving a rise to a great hue and cry; if so, what are the early measures under the active consideration of Government to remove all this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). The information is being collected and would be laid on the table of the House in due course.

विभिन्न राज्यों में बिजली की दरें

7248. श्री रामानन्द तिवारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि यह दरें अलग-अलग हैं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार देश भर में समान दरें लागू करने की आवश्यकता महसूस करती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, लघु उद्योगों और बृहत् उद्योगों के लिए विभिन्न राज्यों मे लागू बिजली की औसत दरें दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ). विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड अपने उपभोक्ताओ को सप्लाई की जाने वाली विद्युत के लिए टैरिफ निर्धारित करने मे सक्षम है ।

विद्युत् के उत्पादन और वितरण की लागत अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न है तथा यह अनेक बातों पर निर्भर करती है जिनमें से मुख्य-मुख्य बातें निम्न-लिखित है :—

(क) जल विद्युत्-ताप विद्युत् का मिश्रण,

(ख) विद्युत् केन्द्र का साइज और उनकी आयु ;

(ग) विद्युत् केन्द्र पर ईंधन की लागत ;

(घ) खरीदी गई विद्युत् की लागत ;

(ङ) कार्मिकों की संख्या और उनके वेतन और भत्तों का स्तर ;

(च) कार्मिकों और संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की दक्षता के स्तर ; और